Jansatta – 25/1/2024

एपैरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल

पंजीकृत कार्यालय : ए–223, ओखला ओद्योगिक क्षेत्र, फेस–1 नई दिल्ली–110020
सीआईएन: U74899DL1978NPL008877 टेलीफोन: 011–40501798
ईमेल : aepcokhla@aepcindia.com वेबसाइट : www.aepcindia.com

असाधारण आम बैठक के लिए सदस्यों को सूचना

प्रिय सदस्य(यों),

यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए परिपत्र/त्रों') द्वारा क्रमशः जारी सामान्य परिपत्र संख्याः 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 तथा 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के अनुपालन में असाधरण आम बैठक (ईजीएम) बुलाने की सूचना में दिए गए कार्यों को निष्पादित करने हेतु सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, परिषद् की असाधरण आम बैठक (ईजीएम) का आयोजन शुक्रवार दिनांक 01 मार्च, 2024 को पूर्वाह्न 12.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी)/अन्य आडियों विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से किया जायेगा।

ईजीएम की सूचना केवल उन सभी सदस्यों को केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते एमसीए परिपत्र/त्रों के अनुसार परिषद के साथ पंजीकृत हैं। यदि कोई सदस्य परिषद के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत या अपडेट करना चाहता है, तो वह कंपनी का नाम, सदस्यता संख्या, अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, ई–मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए ई–मेल **sumit.gupta@aepcindia.com** पर भेज सकते हैं।

सदस्य, ईजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही शामिल हो सकते है/भाग ले सकते हैं। ईजीएम की सूचना में, ईजीएम में शामिल होने के लिए अनुदेश और ईजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भागीदारी करने या ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के तरीके के अनुदेश दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भागीदारी करने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना हेतु गिना जायेगा। ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात् **www.aepcindia.com** पर और साथ ही मैसर्स एनएसडीएल की वेवसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि ईजीएम की सूचना में दी गई सभी टिप्पणियों एवं विशेष रूप से ईजीएम में शामिल होने के लिए अनुदेश, ईजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़े।

उपर्युक्त सूचना, परिषद् के सभी सदस्यों की जानकारी एवं हित हेतु जारी की जा रही है तथा यह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय(एमसीए) के परिपत्रों के अनुपालन में है।

कृते एपैरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल
सुमित गुप्ता
(सेक्रेटरी)

दिनांक : 24/01/2024
स्थान : नई दिल्ली